

डिगरी व मुकदमे हब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत - सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी - ऋषभदेव, जिला - उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - शैलेश सुराणा (R.A.S.)

1. श्रीमति पदमा पत्नि स्व. श्री भोगा मीणा निवासी गडावत गोरिम्बा, तहसील ऋषभदेव
  2. श्री कन्हैयालाल पिता स्व. श्री भोगा मीणा निवासी गडावत गोरिम्बा, तहसील ऋषभदेव
- वादीगण-

बनाम

1. श्री धनजी पिता काला मीणा निवासी गडावत गोरिम्बा, तहसील ऋषभदेव
2. श्री हकरा पिता काला मीणा निवासी गडावत गोरिम्बा, तहसील ऋषभदेव
3. श्री नानजी पिता काला मीणा निवासी गडावत गोरिम्बा, तहसील ऋषभदेव
4. श्री रामा पिता काला मीणा निवासी गडावत गोरिम्बा, तहसील ऋषभदेव
5. श्री सिंगा पिता काला मीणा निवासी गडावत गोरिम्बा, तहसील ऋषभदेव
6. भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव

-प्रतिवादीगण-

दावा :- अन्तर्गत धारा 53, 188 RT एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर - 7/2016 रा.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरू-हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि मौजा थाणा की आ.न. 1402 मीन/0.14, 1391/0.09, 1377/0.16, 1376/0.12, 1375/0.07, 1374/0.14, 1372/0.05, 1371/0.03, 1384 मीन/0.14, 1373 मीन/0.82 कुल किता 10 रकबा 1.76 हेक्टेयर भूमि वादीगण श्रीमति पदमा पत्नी स्व. भोगा, श्री कन्हैयालाल पिता स्व. भोगा मीणा हि.ब. के नाम खाते दर्ज की जावे तथा आ.न. 1392/0.08, 1994/1373/0.10, 1385/0.19, 1383/0.09, 1379/0.06, 1378/0.12, 1402/1/0.14, 1384/1/0.16, 1373/1/0.31, 1373/2/0.51 कुल किता 10 रकबा 1.76 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण श्री धनजी, हकरा, नानजी, रामा, सिंगा पिता काला अर्थात प्रतिवादी नंबर 1 से 5 तक के बराबर-बराबर हिस्से में संयुक्त खाते दर्ज की जावे। बंटवाडा फेहरिश्त के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में वादीगण की भूमि पीले रंग से तथा प्रतिवादीगण की भूमि लाल रंग से अलग-अलग दर्शायी गई है। तदनुसार खाते पृथक-पृथक किये जावे।

मुबलिग -X

बाबत -X

खर्चा इस मुकदमे

के मय सुद व शहर -X

फसदी सालाना आज की तारीख से तारिख

वसुलीणबी तक -X

का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17/माह 04/सन 2017 को जारी की गई।

11/17.04.17